

जाहीज
28-06-2024

2024/356/10

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
राजेन्द्र आदि
बनाम

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 94 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
11.06.2024	<p>प्रार्थी शिवकुमार की तरफ से वकील श्री अर्जुनलाल वर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि पोहड़का बारानी के प.नं. 137/29(175) कि.नं. 1/1, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/1, 22 ता 25, प.नं. 137/37(174) कि.नं. 1 ता 25 की कुल 12.525 है. भूमि में से अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्सा की भूमि को रहन बैय करने एवं अप्रार्थीगण भूमि के मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थीगण को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 09.07.2024 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>श्रीजीनाम दीने दे कम्प अके कोई काफाई नहीं चाहते थे प्रकरण 12 फा 2 री आदि 28/6/24</p>

28.6.2024 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश करने के बाद प्रजावकी के पेश के लिए हुकम वकील प्रार्थी ने निषेध डिक डि प्रार्थना-पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी की जायगी चाहे है। मौजूदा प्रिचर में जारी ज प्रार्थना चाहे है। हुकम प्रार्थना-पत्र 212 अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी मौजूदा प्रिचर में जारी ज डिक जाय है। प्रजावकी नम्बर से आग की जाकर कड तलबी व वकील प्रार्थी दाखिल हुकम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

